

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 566/2021

1. भरत राठौड़ पुत्र मेघ सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी डी-148, तारानगर, खिरनी फाटक, झोटवाड़ा, जिला जयपुर-302012.
 2. भंवर कुमार बागरिया पुत्र डालू राम बागरिया, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ढाणी-आलनपुर, ग्राम मलिकपुर, तहसील खंडेला, जिला सीकर, राजस्थान - 332411.
 3. अजय पालीवाल पुत्र राधे श्याम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 47, कैलाशपुरी, न्यू आदर्श स्कूल के पास, रामपुरा रोड, सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान - 302020.
 4. दिनेश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 30, एफ-1, पार्क निवास, शिवम नगर प्रथम, रामनगरिया, जगतपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान - 302017.
 5. श्रीचंद धींवा पुत्र सांवरमल धींवा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 19, ग्राम सेवानगर, पोस्ट खिरोड़, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान-333042.
 6. गोकुल राम नेहरा पुत्र श्यामा राम नेहरा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी नेहरा की ढाणी, पोस्ट-रोयल, तहसील खंडेला, जिला सीकर, राजस्थान-332709.
 7. समंदर सिंह पुत्र इंदर सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम भाटेलाई चारणान, पोस्ट बम्बलोर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर, राजस्थान।
-

8. दीपक तोमर पुत्र सत्येन्द्र सिंह तोमर, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी डी-215/7, कुम्भा सर्किल, आज़ाद नगर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान-311001.
9. चंद्रेश गोयल पुत्र जयनारायण, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी दर्जियों का बास, तिंवरी, तहसील-तिंवरी, जिला जोधपुर, राजस्थान-342306.
10. हरिओम जांगिड़ पुत्र रामाकिशन शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 34, तालाब मार्ग, ग्राम सोवनिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर, राजस्थान -342604.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. कार्मिक विभाग, जरिये सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर जरिये सचिव, अजमेर (राजस्थान)

-----उत्तरदाता

संबंधित

1. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8358/2022
 2. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 24225/2018
 3. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10571/2020
 4. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12320/2020
 5. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12792/2020
 6. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 566/2021
-

7. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2292/2021

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री.जेके योगी श्री.येनु सत्यन श्री.अक्षित गुप्ता श्री.रघुनन्दन शर्मा जी के साथ सुश्री.कृतिका राजावत श्री.अभिनव श्रीवास्तव
उत्तरदाता(ओं) के लिए	:	श्री.कपिल प्रकाश माथुर, एएजी सुश्री.सारा परवीन श्री.आशुतोष उदावत श्री.प्रतीक सक्सेना श्री.एम.एफ. बेग - आरपीएससी के लिए

माननीय श्रीमान. जस्टिस समीर जैन

निर्णय

आरक्षित :: 08/11/2024

सुनाया :: 10/01/2025

रिपोर्ट योग्य:

1. इन रिट याचिकाओं, जिनमें एक ही कानूनी प्रश्न उठाया गया है, पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। यह दृष्टिकोण न्यायिक दक्षता के

हित में और मुकदमों की बहुलता को रोकने के लिए अपनाया जा रहा है, क्योंकि इन याचिकाओं में समान कानूनी मुद्दे शामिल हैं।

2. पक्षकारों की सहमति से वर्तमान मामले में मुख्य मामला **एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 566/2021 (भारत राठौर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य)** के रूप में लिया जाता है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें पारित निर्णय, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, सभी संबद्ध याचिकाओं पर लागू होगा।

3. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

“i) दिनांक 26.07.2013 के विज्ञापन की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अयोग्य उम्मीदवारों और गैर-ज्वाइन्स के विरुद्ध दिनांक 16.07.2018 की संशोधित प्रतीक्षा सूची से आगे 193 उम्मीदवारों को नहीं चुनने के प्रतिवादियों के विवादित कार्यों को कृपया अवैध और मनमाना घोषित किया जा सकता है और इसलिए, इसे न्याय के हित में रद्द किया जा सकता है और अलग रखा जा सकता है।

ii) प्रत्यर्थियों को रिट, आदेश या निर्देश जारी करके निर्देशित किया जाए कि वे निम्नलिखित प्रकृति के हों:-

क) दिनांक 26.07.2013 के विज्ञापन के सभी गैर-कार्यभार ग्रहण करने वाले और अयोग्य उम्मीदवारों के विरुद्ध दिनांक 16.07.2018 की संशोधित प्रतीक्षा सूची लागू की जाए;

ख) सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ताओं को क्लर्क ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति दी जाए।”

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

4.1 प्रतिवादी राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा दिनांक 26.07.2013 को लिपिक ग्रेड-II के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके द्वारा आरपीएससी के लिए 33 पद और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 7538 पद विज्ञापित किए गए थे। तत्पश्चात, दिनांक 04.07.2017 के शुद्धिपत्र द्वारा सचिवालय सेवाओं के कार्यालय के लिए 195 पद भी शामिल कर दिए गए और आरपीएससी के लिए सीटें 33 से बढ़ाकर 40 कर दी गईं।

4.2. तत्पश्चात, परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम घोषित किए गए। इसके अतिरिक्त, उसी दिन, अर्थात् 07.07.2017 को, प्रतीक्षा सूची के परिणाम भी घोषित किए गए, जिनमें याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया, हालाँकि यह अनंतिम था।

4.3. विवाद तब उत्पन्न हुआ जब अगली भर्ती के लिए 16.04.2018 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ। यह पाया गया कि उक्त विज्ञापन में पिछले विज्ञापन की कोई रिक्ति नहीं थी, और अनुशंसा के बाद, नियुक्ति प्राधिकारियों ने प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति न करने वाले और अयोग्य उम्मीदवारों के नाम मँगवाने शुरू कर दिए।

5. प्रारंभ में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 05.07.2018 के मांग पत्र द्वारा, प्रतिवादियों ने प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों के नाम मांगे थे और उसी के अनुसरण में, आरपीएससी ने 13.07.2018 को पुनर्व्यवस्था परिणाम घोषित किया और 16.07.2018 को संशोधित प्रतीक्षा सूची जारी की।
 6. यह भी प्रस्तुत किया गया कि उचित श्रेणी में संशोधित प्रतीक्षा सूची में चयनित होने के बावजूद, प्रतिवादियों ने दिनांक 16.07.2018 की प्रतीक्षा सूची से दिनांक 18.07.2018 को घोषित पहली पिक अप सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम शामिल नहीं किया।
 7. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रतिवादियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 1197 गैर-शामिल/अयोग्य उम्मीदवारों की समग्र सूची में से, आरपीएससी द्वारा 917 पात्र उम्मीदवारों का चयन किया गया था, और 917 उम्मीदवारों में से भी कुछ को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
 8. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.04.2018, जिसके परिणामस्वरूप क्लर्क ग्रेड II की पिछली चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर समाप्त हो गई थी और अगली भर्ती प्रक्रिया 12.08.2018 को आयोजित करने की घोषणा की गई थी, हालांकि उक्त परिपत्र के अनुसरण में लिए गए निर्णय को एसबी सिविल रिट याचिका संख्या
-

24225/2018 (रामेश्वर प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसके तहत, न्यायालय ने प्रतीक्षा सूची के गैर-प्रचालन के संबंध में उक्त निर्णय पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि दिनांक 16.07.2018 की प्रतीक्षा सूची चालू रहेगी।

9. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय के उक्त आदेश को कार्मिक विभाग द्वारा 12.01.2020 को लिए गए निर्णय के अनुसार चुनौती नहीं दी गई और आरपीएससी को संशोधित प्रतीक्षा सूची से 333 अभ्यर्थियों का चयन करने का निर्देश भी दिया गया। तत्पश्चात, आरपीएससी ने 20.08.2020 को तीसरी चयन सूची जारी की और उस सूची में भी आरपीएससी ने याचिकाकर्ताओं का नाम शामिल नहीं किया।

10. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों द्वारा संशोधित प्रतीक्षा सूची से अपात्र और कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का चयन न करने की कार्रवाई से व्यथित हैं, और प्रतिवादी 13.01.2016 के परिपत्र पर विचार करने में विफल रहे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रतीक्षा सूची के छह महीने आरपीएससी द्वारा की गई अंतिम मांग से प्रभावी होंगे, और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 28 के आदेश का भी पालन नहीं किया गया, जिसके अनुसार उपयुक्त और मेधावी अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करना आवश्यक है। अतः, उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ताओं ने

प्रार्थना की है कि याचिका को पूर्णतः स्वीकार किया जाए और प्रतिवादियों की कार्रवाई को अवैध और मनमानी घोषित किया जाए।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अलग-अलग कारण से दायर रिट याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 की धारा 375(4) के प्रावधानों के तहत पोषणीय नहीं है।

12. यह भी तर्क दिया गया कि संबंधित याचिकाओं में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है, और कुछ याचिकाकर्ताओं के निवास को देखते हुए, यह अधिकार क्षेत्र जोधपुर में आता है। उपरोक्त के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य [2001(2) एससीसी 294] का हवाला दिया गया। अतः, ये याचिकाएँ मान्य नहीं हैं।

13. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि 2013 के विज्ञापन के विरुद्ध वर्ष 2021 में लगभग 8 वर्षों की देरी से तत्काल याचिकाएं दायर की गई हैं।

14. इसके अतिरिक्त, कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.04.2018 पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि एक बार भर्ती के लिए नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद, पिछली चयन प्रक्रिया प्रतीक्षा सूची के साथ समाप्त हो जाती है, और यदि किसी भी कारण से कोई रिक्ति नहीं भरी जाती है, तो ऐसी रिक्ति को

समाप्त माना जाएगा और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए कोई भी प्रक्रिया आरपीएससी द्वारा आयोजित एक नई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ही की जाएगी।

15. इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 10.12.2018 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में, कुल 999 अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित किए गए थे, जिनमें से 333 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था और इनमें से 317 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा प्रतीक्षा सूची में से 228 अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित किए गए। तत्पश्चात, सफल अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर वर्ष 2018 में कनिष्ठ सहायक के पद पर नई भर्ती की गई, जो पूर्ण हो चुकी है, अतः, याचिकाकर्ता रिट याचिका में किसी भी प्रकार की राहत के हकदार नहीं हैं।

16. आगे यह भी कहा गया कि यदि उक्त प्रक्रिया और रामेश्वर प्रसाद शर्मा (सुप्रा) के मामले में दिए गए आदेश को वर्तमान संदर्भ में क्रियान्वित किया जाता है, तो इससे एक अनंत और कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप समापन और अंतिमता का अभाव होगा।

17. परिणामस्वरूप, यह दावा किया गया कि वर्ष 2013 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम रूप ले चुकी है। इसके अलावा, आरपीएससी ने क्लर्क ग्रेड II के पद के लिए एक नई भर्ती अधिसूचना जारी की थी, और उक्त पद के लिए

परीक्षा समाप्त हो गई है, जैसा कि 26.04.2018 के परिपत्र (अनुलग्नक आर / 1) द्वारा प्रमाणित है।

18. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रशासनिक सुधार-3 के अनुभाग अधिकारी द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे पर भरोसा जताया, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि एलडीसी ग्रेड-II परीक्षा-2013 में शेष रिक्त पदों को जूनियर सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में शामिल किया गया था, जहां 114 विभाग शामिल थे, इस प्रकार एलडीसी ग्रेड-II भर्ती-2013 में कोई पद रिक्त नहीं है। इसके अलावा, कार्मिक विभाग के सचिव ने 29.08.2024 के आदेश के अनुसरण में दायर हलफनामे में विशेष रूप से तर्क दिया कि 26.07.2013 के विज्ञापन के अनुसार एलडीसी के पद के लिए कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं।

19. आगे यह भी कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नई चयन प्रक्रिया अपनाई गई है, इसलिए प्रश्नगत मामला अस्तित्व में नहीं आता।

20. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा करते हुए के. जयमोहन बनाम केरल राज्य एवं अन्य; (सिविल अपील संख्या 3384/1997), सुषमा सूरी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य; [(1999) 1 एससीसी 330], राखी रे एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य, (2010(2) एससीआर 239) में रिपोर्ट किया गया और शंकरसन दाश बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 47 में रिपोर्ट किया गया और

साथ ही **राजेंद्र कुमार शर्मा एवं अन्य** बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय; (**एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7978/2022**) तथा अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में कहा गया था कि प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के पास कोई निहित अधिकार नहीं है और एक बार जब अंतिम चयन पूरा हो जाता है और भविष्य में भर्ती हो जाती है, तो विलंब से चुनौती नहीं दी जा सकती।

21. सुना और विचार किया गया।

22. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने नोट किया है कि इस मामले में शामिल संक्षिप्त विवाद, दिनांक 26.07.2013 के विज्ञापन में विज्ञापित उपलब्ध रिक्तियों के संबंध में अयोग्य उम्मीदवारों और गैर-ज्वाइन्स के विरुद्ध दिनांक 16.07.2018 की संशोधित प्रतीक्षा सूची से 193 उम्मीदवारों का चयन न करने में प्रतिवादियों की निष्क्रियता से संबंधित है।

23. इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं: -

23.1 आरपीएससी एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं द्वारा दिनांक 26.07.2013 को एलडीसी (ग्रेड-II) के 33 एवं 7538 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसे बाद में आगामी शुद्धिपत्र द्वारा बढ़ा दिया गया था।

23.2 यह परीक्षा वर्ष 2016-17 में आयोजित की गई थी और इसके लिए न्यूनतम पात्रता अंक 40% थे। तत्पश्चात, चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची और संशोधित सूची तैयार की गई।

23.3 इसके अलावा, भविष्य में चयन शुरू होने पर कार्मिक विभाग ने 26.04.2018 को एक परिपत्र जारी किया था और यह रिकॉर्ड में उपलब्ध है, जिसके तहत यह निर्देश दिया गया था कि एक बार भर्ती की नई प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो पहले की गई पूरी चयन प्रक्रिया और उस भर्ती की प्रतीक्षा सूची, किसी भी कारण से, समाप्त हो जाएगी, और उसी के अनुसरण में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

23.4 **रामेश्वर प्रसाद शर्मा (सुप्रा)** के मामले में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10.12.2018 के अनुसरण में, दिनांक 14.09.2018 के आरोपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी और निर्देश दिए गए थे कि वर्ष 2013 के विज्ञापन के लिए क्लर्क ग्रेड - II के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 16.07.2018 की प्रतीक्षा सूची को समाप्त नहीं किया जाए और इसे प्रशासनिक सुधार विभाग की मांग के अनुसार संचालित किया जाए।

23.4 यह कि मुकदमे-पूर्व बैठक में माननीय मुख्यमंत्री से उचित निर्देश प्राप्त करने के बाद, अपील दायर न करने का निर्णय लिया गया था, और राज्य सरकार ने कुछ अवसरों पर आरपीएससी को अनुशंसित पिक-अप सूची/आरक्षित सूची के

अभ्यर्थियों को गैर-कार्यभार ग्रहणकर्ता और अयोग्य अभ्यर्थियों के रूप में विचार करने की अनुशंसा की है। उक्त निर्देश का प्रभाव कुछ अवसरों पर दिया गया। तत्पश्चात, यह महसूस किया गया कि उक्त प्रक्रिया एक अंतहीन प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है।

23.5 यह ध्यान देने योग्य है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की गई नई भर्ती-2018 प्रक्रिया पूरी होने वाली है, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है।

23.6 एलडीसी के पद के लिए वर्ष 2013 के विज्ञापन के अनुसार रिक्तियां समाप्त हो गई हैं और दिनांक 29.08.2024 के आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त हलफनामे द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है।

23.7 आरटीआई से जो जानकारी सामने आई है उसका कोई महत्व नहीं है।

23.8 प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुभाग अधिकारी द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामा दिनांक 03.08.2022 के आदेश के अनुपालन में था, जिसमें कहा गया था कि यदि एलडीसी ग्रेड-II का कोई पद रिक्त है, तो उसे जूनियर सहायक भर्ती परीक्षा-2018 की नई भर्ती में शामिल किया जाए और इसलिए, इसमें शामिल करने के लिए कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं।

24. उपर्युक्त अवलोकन के आलोक में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि निम्नलिखित कारणों से रिट याचिका में की गई प्रार्थना के संबंध में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती है:

24.1. प्रतीक्षा सूची के अनुसार याचिकाकर्ताओं का चयन आरक्षित सूची में किया गया।

24.2 यह है कि उनके पास रोजगार के लिए कोई निहित अधिकार नहीं हैं, तथा आयोजित परीक्षा के अनुसरण में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची, भर्ती का स्थायी स्रोत नहीं है; कि प्रतीक्षा सूची केवल इस आकस्मिकता के लिए प्रभावी है कि यदि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई अपने चयन के अनुसरण में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में, प्रतीक्षा सूची में से किसी व्यक्ति को इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है; कि इस प्रकार विज्ञापित पद के लिए आज की तारीख में कोई रिक्तियां शेष नहीं हैं; कि किसी विशिष्ट विज्ञापन के अनुसरण में आयोजित परीक्षा के विरुद्ध तैयार की गई प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी, बाद में किसी भिन्न विज्ञापन के संबंध में की जाने वाली भावी नियुक्तियों के लिए नियुक्ति के अधिकार या विचार का दावा नहीं कर सकते हैं।

24.3 वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन एवं भर्ती अंतिम रूप ले चुकी है तथा **रामेश्वर प्रसाद शर्मा (सुप्रा)** प्रकरण में पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार एवं

आरपीएससी के प्राधिकारियों ने योग्यता के अनुसार प्रतीक्षा सूची को प्रभावी कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को स्थान नहीं मिला है।

24.4 आज की तारीख तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं है जो लंबित हो या राज्य सरकार द्वारा आरपीएससी को भेजी गई हो।

24.5 अतिरिक्त हलफनामे में सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नई चयन प्रक्रिया शुरू की गई है, जो पूरी हो चुकी है और आज की तारीख में कोई रिक्तियां नहीं हैं तथा नई चयन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है।

24.6 प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में उपर्युक्त निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिसके द्वारा यह माना गया है कि आरक्षित सूची में सूचीबद्ध करने से अभ्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं को कोई निहित अधिकार नहीं मिला और न ही सृजित हुआ, वह भी विलम्बित चरण में और यदि नया विज्ञापन जारी किया जाता है और रिक्तियों को मिला दिया जाता है, तो पिछले विज्ञापन को, वह भी वर्ष 2013 के, अंतहीन प्रभाव नहीं दिया जा सकता।

24.7 इस पृष्ठभूमि में, प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा **के.जयमोहन (सुप्रा)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा रखा गया है, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:

"यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि केवल इसलिए कि किसी उम्मीदवार का चयन हो गया है और उसे प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, उसे नियुक्ति का कोई पूर्ण अधिकार

प्राप्त नहीं हो जाता। नियुक्ति करना या न करना सरकार पर निर्भर है। यदि कोई रिक्ति है भी, तो उसे भरना सरकार का दायित्व नहीं है। लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति न करने के लिए उचित स्पष्टीकरण देना होगा। इसी प्रकार, लोक सेवा आयोग/भर्ती एजेंसी केवल प्रत्याशित रिक्तियों की सीमा तक ही प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी। उपरोक्त स्थापित कानूनी स्थिति के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है जिसके लिए हस्तक्षेप आवश्यक हो।"

24.8 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम सुरेश चंद्र मारवाह एवं अन्य (1986(3) एससीआर 785)** में पारित निर्णय, जिसमें न्यायालय ने माना था कि रिक्तियों का अस्तित्व किसी चयनित उम्मीदवार को कानूनी अधिकार नहीं देता है।

24.9 सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य [एआईआर (1998) एससी 18]** के मामले में यह निर्णय दिया था कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची भर्ती का स्रोत नहीं है। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर, सरकार नीतिगत निर्णय के तहत प्रतीक्षा सूची से योग्यता के आधार पर लोगों का चयन कर सकती है।

25. तदनुसार, उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों और टिप्पणियों पर विचार करते हुए, तत्काल रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

26. स्थगन आवेदन और लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), जे

प्रीति असोपा

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
